

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 115 / 2021 दिनांक : 20.07.2021

श्रीमती ममता मीणा (R.J1124), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (कोटा) को दिनांक 27.07.2021 से 09.09.2021 तक 45 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 10.09.2021 (स्थानीय अवकाश) एवं 11.09.2021 से 12.09.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री अजय मीणा (R.J1134), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, इटावा (कोटा) को श्रीमती ममता मीणा के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (कोटा) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक में अभिरक्षा है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री अजय मीणा (R.J1134), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (कोटा) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से:-



19.07.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/112/2016/4661

दिनांक 20.07.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 2379 दिनांक 05.07.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ममता मीणा (R.J1124), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (कोटा)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (कोटा)।
5. श्री अजय मीणा (R.J1134), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, इटावा (कोटा)।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, इटावा (कोटा)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।


20.7.2021
सहायक रजिस्ट्रार